कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्सः 05962-232182 ई—मेल almoraforestdivision@rediffmail.com पत्रांक दिनांक 🎖 🥒 🥕 🖊 ,2016

सेवा में,

12-1(2)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय

बयेला नाड़ मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के संबन्ध में।(प्रस्ताव सं0 9364 / 2015)

सन्दर्भ


आनलाइन आपत्ति दिनांक 14/07/2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में ऑनलाइन द्वारा आपत्तियों में लौटाया गया था। जिसकी आख्या बिन्दुवार निम्नवत है।

г					
1	The period for which forest land is	Mentioned in para A-1-x			
	proposed to be diverted is not	v			
	mentioned in part A-1-x				
2	Village wise breakup of land not	Village wise breakup provided			
_	provided in pera 2,3				
3	Both the alternative start from the same	Both the alignments/alternatives start from			
	point but they are started to start form	the same point with minor variations			
	different poits in the text.	because there was no alternative and it is			
		corrected in the statement.			
4	Scanned copy of map of land proposed	Proper scanned copy of map os land			
	for CA usding GPS or total station is not	proposed for CA using GPS is attached.			
	proper.				
5	Copy of map is SOI toposheet	Clear SOI toposheeet duly signed by			
	indicating location of CA is not clear.	forest and revenue officers is enclosed.			
6	Owner wise details of nap land selected	Owner wise detail of nap land selected for			
	for muck dumping along with map and	dumping along with map and reclamation			
	reclamation plan is not sumittrd.	plan is attached			
7	Working plan prescription for the area	The reserved forest is affected in this			
	proposed for diversion and its disrance	project.Distence from boundry is Zero.			
	form boundary of forest not given.	According to work plan twisted pinus			
		(पेंचदार चीड़) under working circle (कार्य वृत्त)			

भवदीय, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा





0 0.1 0.2

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद अल्मोड़ा में बयेला नाड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05966-220679 Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 1693/36सी.

दिनांक रानीखेत जुलाई 29 ,2010

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोडा।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में ताड़ीखेत—मंजूरखान मो0 रोड से स्वत्रंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 देव सिंह कुवार्बी के ग्राम कमेछीना तक मो0 मार्ग का निर्माण मोटर मार्ग का निर्माण।(प्रस्ताव संख्या 16102/2015)

सन्दर्भ :--


आपका पत्रांक मैमो / 12-1 दिनांक 15.07.2016।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

		a*
क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C(iv) Part I online, geo coordinates are shown at very few points. May provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all truning points. The soft copy of the geo referenced map, mentioned to have been sent by post in the reply, has not received in the Regional Officer.	Geo referenced digital map showing coordinates of regular interval at 200m including all turning point along the alignment of the road attached. (Annexture-I)
2.	The FRA certificate and the proceedings of the Sub Division Level Committee under FRA is without any date.	Dated proceeding of sub division level committee under FRA are attached. (Annexture-II)
3.	In the village wise breakup provided at B 2.3 Part I online only one village leti has been mentioned whereas proceedings of the meeting of Gram Sabha Papne Kothar village have been provided alongwith the FRA certificate. May explain this mismatch and provide proceedings of the meeting of Gram Sabha of the correct village name of which should also figure at B 2.3 Part I	Leti is a village under the gram sabha Papne kothar. Hence the proceeding of gram sabha level issued by gram sabha Papne kothar. Village Leti under gram sabha Papne kothar is mention in B 2.3 of Part-I.
4.	In the list of trees provided in the hard copy and in part I additional documents online the no. of trees is mentioned 53 whereas in Part II column 4 online the no of trees are mentioned 54	Total 53 trees will effect by this project as mention in Part-I. Part-II may be revised by DFO Office, Almora.

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निमाण विभाग, रानीखेत। ्रैकार्य का नाम :— ताडीखेत पीपली मंजूरखान रोड से स्वतन्त्रता संगाम सैनानी के गाँव कमेछिना तक मोटर मार्ग का निर्माण





प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- ताडी शित मन रखान मोटर सम्मास सेना की किया की देवासिंह कावावी 0110 on 481 ak

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित प्रमाण-पत्र

गाम पंचायत् का नाम - प्रान तहसील रामार्जन, जिला श्रामारा

अनापत्ति प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड में जनपद — स्टान्ट्रिक अन्तर्गत <u>डिंग्ड</u> परियोजना के निर्माण हेतु (— २ हैं। आरक्षित वन भूमि, ³³⁷⁵ हैं। सिविल सोयम भूषिल भूव हैं। वन पंचायत भूमि है0) अर्थात कुल र भूशहै0 वन भूमि का लोक विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

जक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत <u>उपान लोगर</u> द्वारा दिनांक 25.09 । की सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूनि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त क्राम, समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित गुया कि ग्राम् हिं प्राप्त को अन्त के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कोई आपितत नहीं है।

प्रमाणित कियाँ जो सत्य एवं सही है

图 /-ग्राम सचिव

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपन्न में विक्र जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

जिला अल्मोडा

मान प्रवासका विकास करिया के कि विकास

क्षामान प्रमान करा है। क्षामान प्रमान प्रमान करा है।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 25-9-15.को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत प्रमून नाम

कर्माक	नाम चन्ना के	In Control of the Con		
1 -	2414 रिन	परिथत वरिष्ठ ग्राम	वासियों के नाम	Silving
T.	1. 0	melligg		प्रभातग्रह
2 -	-1-6-1 187	E Greun		Children C
3.	Janes 7	The state of the s	· ·	-1-Cec 1870
10	नुलाग् न	44.7		1 2 1
~.	27-61 16	E houran		Menty 1
5	sent 10	0 10		51569 188
a		Said The Party of		the are
-47		16 \$ Day		Dinus
10	24m 16	E toda		
6-	TIEN" - 201	bein	- interest	Run
9-		TILL		nlegrup.
100			1	BUILDIE
11-	वर्ग वास्त	2-111		7 60
-	CHE LIE	34		
13	and Siens			the state of the s
12.	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	TI Jenal	. 0	lan -
+0	That see	I must		
(4)	110121° G-01	(01)		
,				705 N
	· ·	- respectation - special section - special secti		
	N. C.	***************************************		
-			y ;	
	*			
		A to the same of t		
1.				

i	पारयाजना का नाम 🔑 🎉 🚉 🎉 💮 🔷
7.6	परियोजना का नाम :- प्रिकारित के निर्माण स्थान के स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान
Court 4)	म संग्राम स्वासी हा जा तिलामिश कावार के गांव - कम द्वारा एक मार
अगाग -	कार्यालय उप जिलाधिकारी, राजीवन के तहत
	कायालय उप जिलाधिकारी,
	अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के वहन
	प्रमाण-पत्र
	उपखण्ड स्तरीय समिति, रा नार्वा
to the second of	
-00	उपखण्ड रोजिएल परिक्षेत्र के अन्तर्गत <u>उपराक्त पाटर व्या</u> क्ल (इंठ आरक्षित वन सूमि, उ.उ.७ हैं सिविल एवं सोयम वन सूमि ०.५० हैं कि प्रायम वन सूमि ०.५० हैं कि
)नगा	्र हैं। आएक्षित वन शक्ति उत्तर के किया ना के कार्य
1	वन पंचायत भिम, अर्थात कल 0.7.425
	ला ल भाग प्रयोवता एजेन्सी के प्रथा में नामा कि
rab T	वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल <u>प्रियं हैं</u> हैं सिविल एवं सोयम वन भूमि कि का जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील
	अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विवरण:- की विनांक 04 - 2016 को कार्यवाही का विवरण:-
1	सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:- वे विवरण:- वे विवरण:-
	N ₄
	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
	अधितियस 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
\.	अध्यक्षता में आयोजित की गरी। बैदक में मानरिप क्या उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
Hy X	A TOTAL OF THE POLICE OF THE P
210)	a laste any
*None	जितीत क्षणा उपजिलाधिकारी <u>रानार्वित्र</u> अध्यापी मनानुसार है।
@and	भा पा प्रभागीय वनाधिकारी रानारेश सतस्य
MILDONASIO	श्री प्रभागीय वनाधिकारी राजारेग सतस्य सिंहायक समाज कल्याण अधिकारी वार्ड अस्तर्य साचव
श्रीमध्य निर्मला नेगी	श्री के निर्मा किं। येक समाज कल्याण अधिकारी तार शिवस्य सिचिव
ਸ਼ੁਰ ਲੈਂਡ ਹੋਵਾਸ਼ਨ ਪ ਰਜੇ ਸ	संप्रमण्ड प्रसित तांचा गांचनीय कार्य
ते विकासीतित (अ ल्ड	के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
30 de maria lasse	के ते विश्वास अरम का गई। माननाय सदस्यों को अवगत कराया गया
	लडीरबंट - बीयली - मुजरवाना के रव देव विह नवाकी की
	नाम क्षेत्रहोता वल ग्रेस्ट मार्चा
3	परियोजना हेतु. १५१८ वन
	लाक निमा है। विभाग
	म्मा एखा गया। याम सभा के अन्तर्गत कारित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
••	स मार्ग अवाक्षा आगे आगे होरी रिविशिक्षाति से विकित्त के आवात मार्ग कार्यक्रिक
1	हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।
	41. 하시네 : 40 m : 그는 시네네티 #MENON # 11 11 12 그
alin.	संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी है जिल्ला बनुसूचित जनजाति एवं अन्य
1887	परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
	के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
4	अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी वावदार का वावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
7	है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत होरा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
	उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। अतः प्रकरण में

टार्ट्स में सर्वसमिति और एउएखण्ड परियोजना के निर्माण हेतु है0 वन भूमिली कि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रा	1
है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रा प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गरी।	MACIAIC
जान पर रहिसात अवता की गरी	7425
उप जिलाधिकारी / अक्रामा	
उपखण्ड स्त्रपीय वन अधिकार सा तहसील—राज २० ४	
प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, २ १० ४५० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही ।	***************************************
पा सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही ।	हेतु ।
जंप जिलाशिकारी / अक्यका	
जपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील————————————————————————————————————	ſ

<u>प्रपत्र-23.4</u>

परियोजना का नाम :- ताडा रवीत- अक्यू र रवान- आर्य आर्ग क्रि रवातन आर्य आर्ग के गाँव कार्यहा सम्माम रवनाकी के गाँव कार्यहा टाक आर्थ मार्ग का निस्ताया।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

णनपद अल्ला के अन्तर्गत प्रस्तावित अपा कि अन्तर्गत प्रस्तावित अपा कि अन्तर्गत प्रस्तावित अपा परियोजना के निर्माण हेतु अस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रत्र संख्या 11—9/98—एफ०सी० दिनांक 05—02—2013 के द्वारा रेखांकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओं०एफ०सी० के ब्रांस रेखांकार (linear) प्रयोजनों यथा—सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओं०एफ०सी० के ब्रांस पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

चिना समाज कत्याण अधिकाची घरमोड्डा

जिलाधिकारी

Government of Uttarakhand

	١.	:	٠.				• ;;;	O	ffice	of t	he	Dist	rict	Col	lector	: Alı	nora						
N() (60	060	0000	0000		 							;:						. 15	5-01-	-20	14
.''	٠.					300	 		,,,,,,,	•								 	Date	d:			

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that. 0:7495...hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name user agency) for Construction of the Tachikhed- Manjurkhan motor Road to Rame chhene villege of Late Dev Singh Kunarbi. for diversion of forest land) in. Almond district falls within jurisdiction (Purpose of. Leli...village(s) in Ram Khe Tehsils.

It is further Certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has (a) been carried out for the entire. D. THOS Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required (b) under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-(a). agricultural communities.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.	de de	Ramarks
(a)	The complete process for identification	Not applicable as there are no habitats
	settlement of right under the FRA has been	
	carried out for the entire.0742. het. of	other Traditional forest Dwellers.
	forest area proposed for diversion/copy of	
	records of all consultations and meetings of	
	the forest Rights committee(s) and the	
	District level Committee are enclosed	
	annexure 1 to annexure.	
(b)	The diversion of forest land for Facilities	Not applicable as there are no habitats
	managed by the Government as required	belonging to scheduled tribus and
	under section 3(2) fo the FRA have been	other Traditional forest Dwellers
	Complete and the Gram Sabhas have given	There is no objection certificate of
	their consent to it.	concerned motor road is affixed in the
		forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized	Not applicable as there are no habitats
	rights of primitive Tribal Groups and	belonging to scheduled tribus and
	preagricultural communities.	other Traditional forest Dwellers.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector)

After serutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Date: 15-01-2016

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

यल्माहा